

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या-1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0 2302 पटना, दिनांक-9/11/11
1/सा0सु0विविध-22/2009 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का सं. 56) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक भरण-पोषण अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग के समस्त सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेशानुसार

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0 2302 पटना, दिनांक-9/11/11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को सूचना एवं राजकीय गजट के असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 2000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0

पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक/सभी आरक्षी महानिरीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक/सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001/माननीय विभागीय मंत्री

-2-

के आप्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापक-1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0 2302 पटना, दिनांक-9/11/11
प्रतिलिपि-महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।
K